न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/75/2021

जीतेन्द्र सिंह निवासी क्वाटर न0 आर 4/03 थर्मल पॉवर कांलोनी धौलपुर।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 06.10.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है जीतेन्द्र सिंह निवासी क्वाटर न0 आर 4/03 थर्मल पॉवर कांलोनी धौलपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 07.08.2021 प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/601 दिनांक 24.09.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र कमांक 461 दिनांक 01.10.2021 के द्वारा जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जवाब पत्र कमांक 461 दिनांक 01.10.2021 से अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 की सूचना बाबत पत्रांक 368 दिनांक 31.08.21 से अपीलान्ट को अवगत कराया गया है कि जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से जांच रिपोर्ट अप्राप्त है तथा उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को जारी पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु सूचना शुल्क की राशि 2/रू के हिसाब से कुल राशि 2रू0 कार्यालय में जमा करावें। बिन्दु संख्या 2 की सूचना अपीलान्ट को उपरोक्त पत्र के माध्यम से भिजवाई जा चुकी है। बिन्दु संख्या 3 लगायत 5 की सूचनाऐं उनके कार्यालय

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

से सबंधित न होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाकर अपीलान्ट को भी सूचित कर दिया गया है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना अपीलान्ट को दी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 3 लगायत 5 की सूचना प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सम्बंधित न होने से उनके द्वारा अपीलान्ट का आवेदन धारा 6(3) के तहत उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को पत्रांक 370 दिनांक 31.08.2021 से अन्तरित करते हुये अपीलान्ट को भी पत्रांक 371—72 दिनांक 31.8.2021 से सूचित किया जा चुका है। बिन्दु संख्या 3 लगायत की 5 की सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही करे। प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा की गई यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर